प्रेस नोट
दिनांकः 12.09.2025

चोरी एवं ड्रोन उड़ाने की अफवाहों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा का ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि भ्रमण एवं जनता से संवाद, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। वर्तमान समय में जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी एवं चोरों के आने संबंधी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन अफवाहों के कारण ग्रामीणों में भय व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। साथ ही कुछ शरारती तत्व खिलौना ड्रोन उड़ाकर भी माहौल को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। इन परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी/हल्का प्रभारी व बीट आरक्षियों को निर्देशित किया गया है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर ग्राम सुरक्षा समितियों/ग्राम प्रधानों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें। पुलिस टीम गांव–गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक करे कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि किसी क्षेत्र में कोई संदिग्ध अथवा बाहरी व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल डायल–112, नजदीकी चौकी अथवा थाने पर दें। पुलिस मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति की सत्यापन/पूछताछ करेगी। ग्रामीणों को समझाया जाए कि संदिग्ध व्यक्ति को देखकर कानून अपने हाथ में न लें, अन्यथा किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्र0नि0/थानाध्यक्ष अपने–अपने क्षेत्र में रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी बनाएं तथा गश्त के दौरान संवेदनशील स्थलों एवं मुख्य मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। महोदय ने यह भी कहा कि जनपदीय पुलिस का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों के मध्य विश्वास, शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना है। ग्राम सुरक्षा समितियों के माध्यम से गांव–गांव जाकर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि जनपद के किसी भी कोने में अफवाहों या शरारती तत्वों के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित न हो सके।

महोदय द्वारा स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया। भ्रमण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से आमने–सामने संवाद स्थापित किया गया तथा ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जनपदीय पुलिस हर समय जनता की सुरक्षा, शांति एवं कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर और प्रतिबद्ध है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि माध्यमों पर प्रसारित होने वाली झूठी, भ्रामक व गुमराह करने वाली खबरों पर भरोसा न करें। किसी भी सूचना की पुष्टि आधिकारिक माध्यम से ही करें तथा सतर्क रहते हुए पुलिस का सहयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.09.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 708/25 धारा 331(4),305(I) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तगण– 01. सैफ अली पुत्र स्व0 छोट्टन, 02. नौशाद अली उर्फ खतरा पुत्र स्व0 इस्लाम अली को बादशाह बाग चौराहे जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उनके कब्बे से चोरी का माल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादिनी रेशमा पत्नी मोहम्मद नदीम, निवासी काशीराम कालोनी पंतनगर द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 09.09.2025 को मायके गई थी और घर पर ताला बंद था। दिनांक 10.09.2025 को सुबह 10 बजे घर लौटने पर पाया कि गैस सिलेंडर, 400 ग्राम चाँदी का पाजेब, 04 अदद सोने की बाली, 01 सोने की नथ, 01 चाँदी की पायल व ₹5100/– नकद चोरी हो गए। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों–01. सैफ अली पुत्र स्व0 छोट्टन, 02. नौशाद अली उर्फ खतरा पुत्र स्व0 इस्लाम अली को बादशाह बाग चौराहे जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उनके कब्बे से चोरी का माल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सैफ अली पुत्र स्व0 छोट्टन, निवासी 8/92 काशीराम कॉलोनी, थाना को0नगर, जनपद गोण्डा।
02. नौशाद अली उर्फ खतरा पुत्र स्व0 इस्लाम अली, निवासी पंतनगर फोरबिसगंज, थाना को0नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद गैस सिलिंडर (भारत कंपनी)
02. 01 जोड़ी पाजेब (सफेद धातु)
03. 01 जोड़ी कान की कील (पीली धातु)
04. 01 अदद नाक की कील (पीली धातु)
05. 01 अदद बैंक पासबुक
06. 02 अदद निर्वाचन कार्ड
07. 01 अदद पैन कार्ड
08. कुल ₹2200 नगद

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–708/25 धारा 331(4),305(1),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 अमरनाथ।
02. का0 बृजेश कुमार।

03. का0 विनय प्रताप।
04. का0 अमित यादव।
05. का0 पंकज यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 12.09.2025

थाना नवाबगंज व एस0ओ0जी0 टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड के उपरान्त 02 शातिर बदमाश गिरफ्तार, 01 बदमाश गोली लगने से घायल, कब्जे से अवैध असलहा मय कारतूस, चोरी की 01 अदद प्लेटिना मोटरसाईकिल, छीनैती के 05 अदद मोबाइल व 20,800/– रू0 नकद बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में एस0ओ0जी0 व थाना नवाबगंज की संयुक्त टीम द्वारा गोण्डा–अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग मे शूटिंग रेंज के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 शातिर बदमाश–01. अंकित सिंह पुत्र स्व0 शिवपूजन सिंह, 02. शिवम यादव पुत्र रामयज्ञ यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस, चोरी की 01 अदद प्लेटिना मोटरसाईकिल, 05 छिनैती के मोबाइल फोन व 20,800/– रू0 नकद बरामद किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण–

विगत कुछ दिनों से जनपद गोण्डा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छिनैती की घटनाएं घटित हुई थी। घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित कुल 04 टीमो का गठन किया गया था। जिसमें आज दिनांक 12.09.2025 को थाना नवाबगंज व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम क्षेत्र में भ्रमण शील थी कि सूचना प्राप्त हुई कि 02 शातिर बदमाश गोण्डा अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ रहे है। पुलिस टीम द्वारा गोण्डा अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग मे शूटिंग रेंज के पास बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया। जिसमें बदमाशों द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश अंकित सिंह के पैर में गोली लगी, इस दौरान उसका साथी अभियुक्त शिवम यादव द्वारा मौके से भागने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने तत्परता से घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद चोरी की प्लेटिना मोटरसाईकिल, 05 अदद छिनैती के मोबाइल फोन व 20,800/– रू0 नकद बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा जनपद गोण्डा के थानाक्षेत्र वजीरगंज, मोतीगंज, कोतवाली नगर, को0 देहात सहित आस–पास के जनपदों में भी मोटरसाइकिल व कपड़े बदल–बदलकर ई–रिक्शो सवार महिलाओं से पर्स/मोबाइल फोन आदि की छिनैती की घटनाएँ की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अंकित सिंह पुत्र स्व0 शिवपूजन सिंह निवासी हडियागाड़ा थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. शिवम यादव पुत्र रामयज्ञ यादव निवासी ठाकुरपुर अहिरन पुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–175/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–714/25 धारा 304 बीएनएस थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–288/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–299 /25 धारा 304(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–424/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–332/25, धारा 109,351(3),352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद चोरी की प्लेटिना मोटरसाईकिल।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।
03. 20,800/– रू0 नकद
04. 05 अदद मोबाइल फोन (छिनैती के)

<u>अभियुक्त अंकित सिंह का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0–175/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–288/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–299 /25 धारा 304(2) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–424/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–714/25 धारा 304 बीएनएस थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0–458/20 धारा 380,411,457 भादवि को0 नगर जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0–235/23 धारा 323,504,506 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0–69/24, धारा 323,504,506 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।
09. मु0अ0सं0–458/20 धारा 457,380,411 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्तों से उनके द्वारा कारित अन्य घटनाओं के संबंध में विस्तृत पूछताछ व बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. श्री अभय सिंह थानाध्यक्ष नवाबगंज।
02. श्री गौरव सिंह प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस।
03. व0उ0नि0 श्री विश्वास चतुर्वेदी।
04. उ0नि0 श्री विभव सिंह।
05. उ0नि0 संजीव सिंह।
06. उ0नि0 अशोक कुमार जायसवाल।
07. हे0का0 अमित पाठक एस0ओ0जी0
08. हे0का0 रणधीर एस0ओ0जी0
09. हे0का0 अरूण यादव एस0ओ0जी0
10. हे0का0 हृदयनारायण दीक्षित सर्विलांस।
11. का0 लोकेश नागर एस0ओ0जी0
12. का0 रवि सर्विलांस
13. का0 अमितेश सिंह सर्विलांस
14. का0 अंशुमान पाण्डेय सर्विलांस
15. हे0का0 सुनील कुमार यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>